(5)

हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता मामले विभाग

संख्याः एफ.डी.एस.-ए(3)-12/99 तारीख शिमला-2. 17 फरवरी, 2010.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्याःएफ.डी.एस.-ए(3)-12/99 तारीख 28-12-2006 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कनिष्ठ विश्लेषक, वर्ग-III, (अराजपत्रित) के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग कनिष्ठ विश्लेषक, वर्ग-III,(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2010 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

उपाबन्ध-"क" का संशोधन। 2.(1) हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग कनिष्ठ विश्लेषक, वर्ग-III,(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 के उपाबन्ध-"क" में:-

(क) स्तम्भ संख्या-2 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"02(दो)"

(ख) स्तम्भ संख्या-7(क) के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

" किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि।"

आदेश द्वारा,

अनिल खाची
सचिव(खा0ना0आ0एवंउ0मा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त दिनांक : शिमला-171002, 18 फरवरी, 2010
प्रतिलिपि प्रेषित हैः-

-2/

1. निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हि०प्र०, शिमला-9
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्याः 1-67/71-पी०एस०सी०-पार्ट दिनांक 02.01.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान (तोल एवं माप) हि०प्र०, शिमला-9।
4. सहायक विधि परामर्शी(विधि) एवं अवर सचिव(विधि) विभाग हि०प्र० सरकार।
5. संरक्षण नस्ति।

विशेष सचिव(खा०ना०आ०एवं उ०मा०)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2007.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 29 मार्च, 2007/8 चैत्र, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 28 दिसम्बर, 2006

संख्या एफ0 डी0 एस0-ए(3)-12/99.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक, वर्ग–III (अराजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग कनिष्ठ विश्लेषक वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2006 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) अधिसूचना संख्या एफ0 डी0 एस-ए(3)-12/99 तारीख 1 मार्च, 2004 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कनिष्ठ विश्लेषक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2004 का एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियम 2(1) के अधीन निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव ।

उपाबन्ध-"क"

हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम	कनिष्ठ विश्लेषक
2. पदों की संख्या	1 (एक)
3. वर्गीकरण	वर्ग-III (अराजपत्रित) तकनीकी सेवाएं
4. वेतनमान	4400-150-5000-160-5800-200-7000 रुपये
5. चयन पद अथवा अचयन पद	लागू नहीं ।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु	18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में रत व्यक्तियों सहित अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जाएगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/

	स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/किए गए थे । टिप्पण : (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद(पदों) को यथास्थिति आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है । (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं ।	(क) अनिवार्य अर्हताएं : किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से विज्ञान के साथ 10+2 या इसके समकक्ष हो । (ख) वांछनीय अर्हताएं : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान, और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी ।	आयु: लागू नहीं । शैक्षणिक अर्हताएं : लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10. भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा आधार पर सम्बन्धित भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड के माध्यम से ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा ।	लागू नहीं
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना ।	लागू नहीं
13. परिस्थितियों जिनमें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।	जैसी कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यदि भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यथास्थिति जिसका स्तर/पाठ्यक्रम भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
15-(क) संविदात्मक नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।	(I) संकल्पना : (क) इस पालिसी के अधीन विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए रखा जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा । (ख) अभ्यर्थियों का चयन संबद्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा रिक्त पद का विज्ञापन देकर किया जाएगा । (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा । (घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदात्मक कनिष्ठ विश्लेषक को सरकारी (जांच) सेवा में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा । II. मानदेय : संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ विश्लेषक को 6600/- रुपए की दर से समेकित नियत रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी (जो वेतनमान के आरम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो क्रमश: द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक

रकम में 150/- रुपये की बढ़ौत्तरी अनुज्ञात की जाएगी ।"

III. नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी :

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का निदेशक, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

IV. चयन प्रक्रिया :

(क) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का निदेशक विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक के विद्यमान कर्मचारीवृन्द/रिक्तियों की बाबत, वर्ष की समाप्ति से पूर्व कार्यभार (वर्क लोड) तथा मानकों के अनुसार रिक्तियों को भरने हेतु उनका पूर्ण न्यायोचित्य देते हुए सरकार को ठीक अग्रिम रूप में सूचित करेगा ।

(ख) सरकार द्वारा अनुरोध पर विचार किया जाएगा और यदि प्रथमतः स्थानान्तरण के लिए कोई अनुरोध है, तो सरकार नियमित पदधारी के स्थानान्तरण द्वारा रिक्त को भरेगी या अन्यथा सरकार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के निदेशक को कनिष्ठ विश्लेषक के रिक्त पद को संविदा के आधार पर केवल एक वर्ष के भरने हेतु "आवश्यकता प्रमाण पत्र" जारी करेगी जिसे खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के निदेशक द्वारा दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(ग) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश का निदेशक रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यपेक्षा को संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड को भेजेगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा की जाए ।

VI. करार :

चयन के पश्चात् अभ्यर्थी को इन नियमों से संलग्न उपाबंध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

VII. निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा आधार पर नियुक्त कनिष्ठ विश्लेषक को 6600/- रुपये की दर से संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जायेगी (जो वेतनमान में आरम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) वह क्रमशः द्वितीय व तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 150/- रुपये की आवधिक वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सम्बद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदात्मक कनिष्ठ विश्लेषक की सेवा पूर्णतयः अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कार्य /आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त करने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त पदाधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

(घ) संविदात्मक कनिष्ठ विश्लेषक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लाभ के हकदार नहीं होगा/होगी । प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के अनुसार प्रसूति अवकाश दिया जाएगा ।

(ङ) कार्यालयाध्यक्ष (हैड आफ आफिस) के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यवसान) हो जाएगी । संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी प्रकार के मानदेय का हकदार नहीं होगा ।

(च) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में 12 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित पदधारी को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

VIII नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार :

इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाये गये अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में नियमितिकरण/स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किये गये अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा

लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध-"ख"

कनिष्ठ विश्लेषक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी .... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

विभाग के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के मध्य आज तारीख.........
को किया गया है ।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को .... के रूप में लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ विश्लेषक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ विश्लेषक के रूप में..............से प्रारम्भ होने और........ ....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में..............के रूप में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्...........दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 6600/- रुपये प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदात्मक नियुक्ति किसी भी अवस्था में नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

5. संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ विश्लेषक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा/होगी । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदात्मक कनिष्ठ विश्लेषक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा ।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदात्मक कनिष्ठ विश्लेषक कर्त्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा/होगी ।

7. किसी भी दशा में संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ विश्लेषक का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था प्रसव होने तक उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए ।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित पदधारी को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

10. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ व ई0 पी0 एफ0/जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा ।